संख्या–368 / दो–8–2017–33 / सी / आई0ए0एस0(पी) / 2017

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी,
मसूरी।

नियुक्ति अनुभाग–8 लखनऊः दिनांकः 26 अप्रैल, 2017

विषयः–उत्तर प्रदेश संवर्ग के 2016(2016–18) बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जिला प्रशिक्षण हेतु जिलों में तैनाती।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के पत्रांक –11011 / 5 / 2016–ए.डी.एम., दिनांक 27.03.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12 मई,2017 को अधिकरियों के प्रोफेशनल कोर्स फेज–1 की समाप्ति पर वर्ष–2016 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जिला प्रशिक्षण हेतु सहायक मजिस्ट्रेट तथा सहायक कलेक्टर के रूप में निम्नानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में तैनात किया जाता हैः–

क्र.स.	प्रशिक्षु अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण का जनपद	क्र.स.	प्रशिक्षु अधिकारी का नाम	प्रशिक्षण का जनपद
1	श्री अभिषेक गोयल	गोरखपुर	10	सुश्री गज़ल भारद्वाज	मुजफ्फरनगर
2	श्री अभिषेक पाण्डेय	गाजीपुर	11	श्री इन्द्रजीत सिंह	बिजनौर
3	श्री अमित पाल	गाजियाबाद	12	सुश्री कविता मीना	इटावा
4	श्री अमित आसरी	सहारनपुर	13	श्री कुमार हर्ष	मऊ
5	सुश्री अन्नपूरना गर्ग	बागपत	14	श्री प्रथमेश कुमार	आगरा
6	श्री अनुपम शुक्ला	बरेली	15	श्री पुलकित गर्ग	बुलन्दशहर
7	श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय	शाहजहाँपुर	16	श्री सत्य प्रकाश	चित्रकूट
8	श्री अतुल वत्स	सोनभद्र	17	श्री शैलेश कुमार	बाँदा
9	श्री चन्द्र मोहन गर्ग	बस्ती	18	श्री शशांक त्रिपाठी	सीतापुर

2. अनुरोध है कि कृपया उक्त अधिकारियों को तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें कि दिनांक 12 मई, 2017 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से अवमुक्त होने के पश्चात वे संबंधित जिलाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु अपना योगदान प्रस्तुत करें।

3. जहाँ तक परिवीक्षकों को अवकाश स्वीकृत किये जाने का प्रश्न है, राज्य सरकार परिवीक्षाधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत किये जाने के पक्ष में नहीं है, किन्तु परिवीक्षकों की वास्तविक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत उन्हें कम से कम अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार यद्यपि कार्यभार ग्रहण करने हेतु नियमानुसार 06 दिन की तैयारी तथा प्रत्येक 400 कि.मी. की दूरी के लिए 01 दिनों का यात्रा काल अनुमन्य है, परन्तु इसे यथा सम्भव उपयोग न किया जाए।

भवदीय,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या–368 / दो–8–2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, भारत सरकर,कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
2– महानिदेशक, उ0 प्र0 प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ।
3– सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4– नियुक्ति अुभाग–1 / 5,
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विश्वनाथ दुबे)
अनु सचिव।